



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण 1947 (श 0)

(सं 0 पटना 1776) पटना, मंगलवार, 16 दिसम्बर 2025

सं 0 प्र 0-01-रा 0(वि 0)-20 / 2024-7595 / एम 0,  
खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

15 दिसम्बर 2025

विषय:- खान एवं भूतत्व निदेशालय को 02 निदेशालयों यथा खान निदेशालय एवं अन्वेषण निदेशालय में पुनर्गठन करने तथा खान निदेशालय को 02 उप निदेशालयों यथा खनन उप निदेशालय तथा सुरक्षा उप निदेशालय में पुनर्गठित करने तथा इस हेतु विभिन्न पदों के सृजन एवं पुनर्गठन के संबंध में।

खान एवं भूतत्व विभाग के संकल्प सं 0-3175 (एम 0), दिनांक-28.12.2006 के द्वारा राज्य के पुनर्गठन के बाद उत्तरवर्ती बिहार राज्य में कार्यरत खान निदेशालय एवं भूतत्व निदेशालय के संविलयन कर एकल खान एवं भूतत्व निदेशालय का गठन किया गया है। कालांतर में विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 3446 दिनांक 04.10.2019 से विभाग के विभिन्न पदों का पुनर्गठन किया गया एवं ज्ञापांक 5898 दिनांक 01.12.2022 से मुख्यालय के लिए 04 खान निरीक्षकों का पद सृजन किया गया। वर्तमान में खान एवं भूतत्व निदेशालय की स्थापना की संरचनात्मक व्यवस्था उपरोक्त संकल्प/आदेश के अनुसार कायम है।

2. वर्तमान में खान एवं भूतत्व सेवा के पदाधिकारियों एवं खान एवं भूतत्व निरीक्षक सेवा के खान निरीक्षकों के वर्तमान स्वीकृत बल एवं पद की स्थिति निम्नवत् है:-

| क्र 0 | पद का नाम    | स्वीकृत बल | पद की स्थिति                                                                                                                           |
|-------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | निदेशक       | 01         | मुख्यालय स्तर पर                                                                                                                       |
| 2.    | अपर निदेशक   | 02         | अपर निदेशक (खनिज विकास) एवं अपर निदेशक (प्रशासन) दोनों पद मुख्यालय के लिए स्वीकृत हैं।                                                 |
| 3.    | उप निदेशक    | 11         | 02 पद (उप निदेशक, खनिज विकास एवं उप निदेशक, आँकड़ा बैंक) मुख्यालय तथा 09 पद प्रमण्डल स्तर पर कार्यरत अंचल कार्यालय के लिए स्वीकृत हैं। |
| 4.    | सहायक निदेशक | 15         | 01 पद मुख्यालय तथा 14 पद विभिन्न जिला खनन कार्यालय के लिए स्वीकृत हैं।                                                                 |

|    |                      |     |                                                                       |
|----|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 5. | खनिज विकास पदाधिकारी | 46  | 08 पद मुख्यालय तथा 38 पद सभी 38 जिला खनन कार्यालय के लिए स्वीकृत है।  |
| 6. | खान निरीक्षक         | 108 | 04 पद मुख्यालय तथा 104 पद सभी 38 जिला खनन कार्यालय के लिए स्वीकृत है। |

3. वर्तमान परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा भी अन्वेषण कार्य कराये जाने की आवश्यकता है। इस क्रम में खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वृहद खनिज के कई ब्लॉक बिहार राज्य को आवंटित किये गये हैं। साथ ही वर्तमान परिदृश्य में क्रिटिकल एवं सामरिक खनिजों का विश्व में उभरते मांग एवं महत्ता के दृष्टिगत अन्वेषण एवं अन्वेषण के उपरांत गुणवत्तापूर्ण इनपुट प्राप्त करना आवश्यक है। जिसके लिए अन्वेषण निदेशालय का सृजन किया जाना आवश्यक है।

4. वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत सुरक्षा निदेशालय का गठन नहीं किया गया है। बिहार राज्यान्तर्गत वृहद खनिज एवं लघु खनिज के खनन पट्टों की सुरक्षा तथा अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध कार्रवाई में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सुरक्षा उप निदेशालय का गठन किया जाना आवश्यक है।

अतः खान एवं भूतत्व निदेशालय को 02 निदेशालयों यथा खान निदेशालय एवं अन्वेषण निदेशालय में पुनर्गठन करने तथा खान निदेशालय को 02 उप निदेशालयों यथा खनन उप निदेशालय तथा सुरक्षा उप निदेशालय में पुनर्गठित करने तथा इस हेतु विभिन्न पदों के सृजन एवं पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है।

5. खान एवं भूतत्व निदेशालय को 02 निदेशालयों यथा खान निदेशालय एवं अन्वेषण निदेशालय में पुनर्गठित होने के उपरांत खान निदेशालय के प्रमुख निदेशक, खान होंगें तथा अन्वेषण निदेशालय के प्रमुख निदेशक, अन्वेषण होंगें। खनन उप निदेशालय तथा सुरक्षा उप निदेशालय के प्रमुख संबंधित अपर निदेशक होंगें, जो निदेशक खान के अधीन होंगें।

उक्त के आलोक में कंडिका-2 में वर्णित विभिन्न स्तर के पदों के अतिरिक्त आवश्यकतानुरूप निम्नवत पदों का सृजन किया जा रहा है :-

- खान निदेशालय में मुख्यालय स्तर पर खनन उप निदेशालय में सहायक निदेशक के 03 पद, खनिज विकास पदाधिकारी के 02 पद उपलब्ध होंगे।
  - खान निदेशालय में मुख्यालय स्तर पर सुरक्षा उप निदेशालय में अपर निदेशक के 01 पद, उप निदेशक के 01 पद, पुलिस अधीक्षक के 01 पद, खनिज विकास पदाधिकारी के 02 पद, पुलिस उपाधीक्षक के 02 पद एवं खान निरीक्षक के 09 पद उपलब्ध होंगे।
  - अन्वेषण निदेशालय में मुख्यालय स्तर पर निदेशक, अन्वेषण के अतिरिक्त 01 पद, उप निदेशक (अन्वेषण) के 01, सहायक निदेशक (अन्वेषण) के 02 पद, वरीय भू-वैज्ञानिक (अन्वेषण) के 04 पद, भू-वैज्ञानिक के 10 पद उपलब्ध होंगे।
6. खान एवं भूतत्व निदेशालय को 02 निदेशालयों यथा खान निदेशालय एवं अन्वेषण निदेशालय में पुनर्गठन करने तथा खान निदेशालय को 02 उप निदेशालयों यथा खनन उप निदेशालय तथा सुरक्षा उप निदेशालय में पुनर्गठित करने तथा इस हेतु विभिन्न पदों के सृजन एवं पुनर्गठन के उपरांत निम्नवत् है:-

(i)

| क्र० | पदनाम  | पूर्व से स्वीकृत पदों की संख्या | पुनर्गठन के उपरांत कुल पदों की संख्या | पदों की विवरणी                                             |                     | अभ्युक्ति |                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |                                 |                                       | खान निदेशालय में सृजित / पुनर्गठन के उपरांत पदों की संख्या |                     |           | अन्वेषण निदेशालय में सृजित/ पुनर्गठन के उपरांत पदों की संख्या                                                                                                                                                                  |
|      |        |                                 |                                       | खनन उप निदेशालय                                            | सुरक्षा उप निदेशालय |           |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.   | निदेशक | 01                              | 02                                    | 01                                                         |                     | 01        | खान निदेशालय के निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी तथा अन्वेषण निदेशालय के निदेशक खान एवं भूतत्व सेवा परन्तु प्रशासनिक आवश्यकताओं की स्थिति में निदेशक, अन्वेषण के पद को अस्थायी रूप से अन्य सेवाओं से भी भरा जा सकेगा। |

| क्र० | पदनाम                | पूर्व से स्वीकृत पदों की संख्या | पुनर्गठन के उपरांत कुल पदों की संख्या | पदों की विवरणी                                             |                     |                                                               | अभ्युक्ति                                                                 |
|------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      |                      |                                 |                                       | खान निदेशालय में सृजित / पुनर्गठन के उपरांत पदों की संख्या |                     | अन्वेषण निदेशालय में सृजित/ पुनर्गठन के उपरांत पदों की संख्या |                                                                           |
|      |                      |                                 |                                       | खनन उप निदेशालय                                            | सुरक्षा उप निदेशालय |                                                               |                                                                           |
| 2.   | अपर निदेशक           | 02                              | 03                                    | 01                                                         | 01                  | 01                                                            | खान एवं भूतत्व सेवा के पदाधिकारी                                          |
| 3.   | उप निदेशक            | 11                              | 13                                    | 11                                                         | 01                  | 01                                                            | खान एवं भूतत्व सेवा के पदाधिकारी                                          |
| 4    | पुलिस अधीक्षक        | —                               | 01                                    | —                                                          | 01                  | —                                                             | भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी (प्रतिनियुक्ति के आधार पर)                 |
| 5.   | सहायक निदेशक         | 15                              | 20                                    | 18                                                         | —                   | 02                                                            | खान एवं भूतत्व सेवा के पदाधिकारी                                          |
| 6.   | पुलिस उपाधीक्षक      | —                               | 02                                    | —                                                          | 02                  | —                                                             | बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी (प्रतिनियुक्ति के आधार पर)                  |
| 7.   | खनिज विकास पदाधिकारी | 46                              | 50                                    | 48                                                         | 02                  | —                                                             | खान एवं भूतत्व सेवा के पदाधिकारी                                          |
| 8.   | वरीय भूवैज्ञानिक     | —                               | 04                                    | —                                                          | —                   | 04                                                            | खान एवं भूतत्व सेवा के अन्तर्गत खनिज विकास पदाधिकारी के समकक्ष पदाधिकारी  |
| 9.   | खान निरीक्षक         | 108                             | 117                                   | 108                                                        | 09                  | —                                                             | खान एवं भूतत्व निरीक्षक सेवा के पदाधिकारी                                 |
| 10.  | भूवैज्ञानिक          | —                               | 10                                    | —                                                          | —                   | 10                                                            | खान एवं भूतत्व निरीक्षक सेवा के अन्तर्गत खान निरीक्षक के समकक्ष पदाधिकारी |

- (ii) अन्वेषण निदेशालय हेतु सृजित किये जाने वाले विभिन्न पदों पर नियुक्ति होने तक अथवा इसके पश्चात् भी, खान एवं भूतत्व सेवा/खान एवं भूतत्व निरीक्षक सेवा के भूगर्भ विज्ञान/सम्बद्ध भूगर्भ विज्ञान के योग्यताधारी पदाधिकारियों या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार/अन्य राज्य सरकार के ऐजेंसियों यथा GSI, MECL, CMPDIL इत्यादि के योग्यताधारी पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी।
7. खान निदेशालय तथा अन्वेषण निदेशालय एवं संबंधित उप निदेशालयों में सृजित कुल 39 पदों के विरुद्ध अनुमानित व्यय की विवरणी **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।
8. उक्त व्यय का वहन बजट शीर्ष-2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 02- खानों का विनियमन तथा विकास, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 0001-खनन एवं भूतत्व स्थापना, मांग संख्या-29, विपत्र कोड-29-2853020010001 के अंतर्गत किया जाएगा।
9. पूर्व निर्गत संकल्प एवं आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
10. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-09.12.2025 की बैठक के मद संख्या-19 में दी गई है।
- आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
दिवेश सेहरा,  
सचिव।

अनुलग्नक:- I

खान निदेशालय तथा अन्वेषण निदेशालय एवं संबंधित उप निदेशालयों में सृजित पदों के विरुद्ध अनुमानित व्यय विवरणी

| क्र०सं०                                                | पदनाम                | वेतन स्तर | संख्या | वेतन        | वार्षिक वेतन   | अभ्युक्ति                                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                      | निदेशक               | 13A       | 1      | 1,31,100.00 | 15,73,200.00   | वार्षिक वेतन पर अनुमान्य भत्तों का भुगतान देय होगा। |
| 2                                                      | अपर निदेशक           | 13        | 1      | 1,23,100.00 | 14,77,200.00   |                                                     |
| 3                                                      | उप निदेशक            | 12        | 2      | 78,800.00   | 18,91,200.00   |                                                     |
| 4                                                      | सहायक निदेशक         | 11        | 5      | 67,700.00   | 40,62,000.00   |                                                     |
| 5                                                      | खनिज विकास पदाधिकारी | 9         | 4      | 53,100.00   | 25,48,800.00   |                                                     |
| 6                                                      | खान निरीक्षक         | 6         | 9      | 35,400.00   | 38,23,200.00   |                                                     |
| 7                                                      | पुलिस अधीक्षक        | 12        | 1      | 78,800.00   | 9,45,600.00    |                                                     |
| 8                                                      | पुलिस उपाधीक्षक      | 9         | 2      | 53,100.00   | 12,74,400.00   |                                                     |
| 9                                                      | वरीय भूवैज्ञानिक     | 9         | 4      | 53,100.00   | 25,48,800.00   |                                                     |
| 10                                                     | भूवैज्ञानिक          | 6         | 10     | 35,400.00   | 42,48,000.00   |                                                     |
|                                                        | कुल योग:-            |           | 39     | 7,09,600.00 | 2,43,92,400.00 |                                                     |
| (दो करोड़ तेतालिस लाख बेरानवे हजार चार सौ रूपये मात्र) |                      |           |        |             |                |                                                     |

दिवेश सेहरा,  
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1776-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>